देवबणी री बात

कृपाविस का सामुदायिक जंगल 'देवबणी/ओरण' संरक्षण अभियान

अंक 23 नवम्बर 2015

"ओरण – देवबणी"
परम्परागत सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र – आजीविका व संरक्षण का स्थायी विकल्प

राजस्थान में सामूहिक जंगल, चारागाह, वन भूमि व जल–स्रोत जिसे सुरक्षा की दृष्टि से किसी लोक देवता, देवी के नाम से जोड़ दिया जाता है, उसे ओरण या देवबणी कहते है। ओरण–देवबणियों के सरंक्षण में समुदायों की भुमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है, जिसमें इन सामुदायिक जंगलों के सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय पहलुओं में घनिष्ट सम्बंध है। राजस्थान में ओरण परम्परा ने पर्यावरण सरंक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने में निरन्तर योगदान दिया है।

ओरण–देवबणियों का बहुत बड़ा योगदान पानी के संरक्षण में भी है चूँकि ओरण तथा आप–पास के क्षेत्र में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए जोहड़, तालाब, तलाई, बावड़ी आदि बनाये जाते हैं। जिससे ओरण में विधमान वृक्षों को नमी मिलती है तथा गाँव में पूरा जीवन पशुपालन पर आश्रित होने के कारण पशुओं को पानी पीने के स्त्रोत भी यही होते हैं।

ओरण का उल्लेख प्राचीनकाल से ही मिलता है, वैदिक काल और उससे पूर्व प्रचलित अरण्य ही कालान्तर में ओरण कहलाए। वैसे प्राचीन भारतीय इतिहास ग्रंथों तथा वैदिक साहित्य में गोचर भूमि के सम्बन्ध में तो पर्याप्त सामग्री मिलती है, परन्तु ओरण के सम्बन्ध में बहुत कम लिखा हुआ मिलता है ।

KRAPAVIS

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस)

कृपाविस बणी, गांव-बख्तपुरा

पो० सिलीसेढ़, जिला अलवर-301001 (राज.)

ई-मेल:krapavis_oran@rediffmail.com

सम्पादन : अमनसिंह व प्रतिभा सिसोदिया

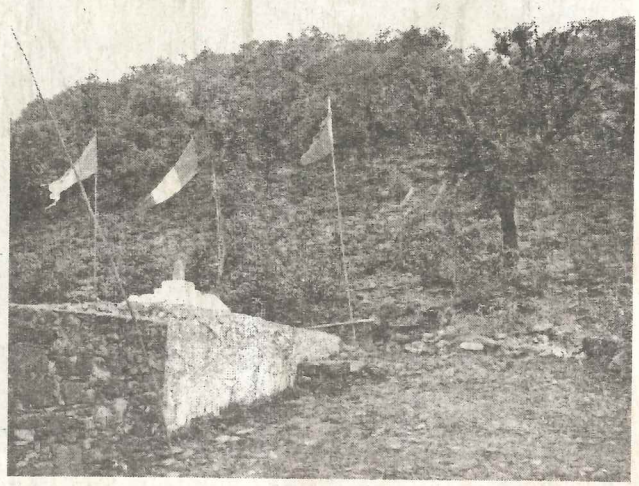

सम्भवत: गोचर भूमि और ओरण भूमि को तत्कालीन समय में अलग–अलग नही माना गया था, या फिर ओरण शब्द का प्रचलन तथा इस प्रकार की भूमि को छोड़ने का प्रार्दुभाव राजपूत काल में भी प्रारम्भ हुआ होगा।

ओरण जैव विविधता, पशुधन और खेती के बीच एक पूरक सम्बन्ध स्थापित है, जो कि समुदायों की आजीविका एवं समुदाय की आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक व आध्यात्मिक आवश्यकता पूरी करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। ओरण का सम्पूर्ण क्षेत्र उसके अलिखित कानूनों और परम्परागत रीति–रिवाजों के अनुसार ही चलता आ रहा है जिन्हें वहाँ के निवासी अत्यन्त सम्मानपूर्वक स्वीकार व पालन करते हैं।

ओरण आमजन की जीवन्त संस्कृति के प्रतीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को प्रचुर मात्रा में ओरणों से जीवनोपयोगी प्राकृतिक वन सम्पदा मिलती है। अत: ओरण देवबणी का संरक्षण करना आज की बड़ी आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में लगभग 7 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल ओरण–देबवणियों से आच्छादित है। यदि राजस्थान के केवल रेगिस्तान प्रभावित 9 जिलों को देखे तो 537000 हैक्टेयर क्षेत्रफल ओरणों से आच्छादित है। अलवर जिले में 300 से अधिक देवबणीयाँ है ऐसे में ओरणों व देवबणीयों के संरक्षण की प्रांसगिकता और अधिक बढ़ जाती है।

पारिस्थितिकी एवं संस्कृति का प्रतीक : मन्शा माता देवबणी काली पहाड़ी

काली पहाड़ी गाँव में एक रमणीय व सुन्दर पहाड़ी क्षेत्र है जिसे मन्शा माता की देवबणी के नाम से जाना जाता है। इस बणी में मन्शा माता का प्राचीन मन्दिर है, जो कि गाँव की प्राचीनता एवं सभ्यता का प्रतीक है।

काली पहाड़ी गाँव राजस्थान के अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में राजगढ़ हाईवे से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। गाँव की जनसंख्या लगभग 1500 है, जिसमे परिवारों की संख्या 300 हैं, सामान्य वर्ग के 100 परिवार हैं और अनुसूचित जाति के 50 परिवार तथा पिछड़ी जाति के 150 परिवार हैं। गाँव की सम्पूर्ण कृषि भूमि 1800 बीघा है जिसमें चारागाह भूमि 300 बीघा व बंजर भूमि 250 बीघा है।

यह देवबणी करीब 40 बीघा के क्षेत्रफल में फैली हुई है। इस देवबणी में वनस्पति आच्छादित क्षेत्रफल 30 बीघा तथा अनाच्छादित क्षेत्रफल 10 बीघा है। देवबणी वन विभाग की भूमि पर स्थित है। देवबणी आबादी क्षेत्र से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

इस देवबणी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिनमें खैरी–2000, धौल्या–1500, धोकड़ी (खेजडी)–150, देशी किकर–50, पीपल–10, करंज –1, नीम–20, जामुन–1, पापडी–150, सहतुत–2, बेर–10, केला–1 आदि। जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाएँ बनाने व फल–फूल आदि के लिए किया जाता है।

इस देवबणी में वनस्पति की उपलब्धता के कारण गर्मी के मौसम में घनी छाया मिलती है। पक्षियों व वन्य प्राणियों के लिए विचरण करने हेतु उपयुक्त है। देवबणी में जल स्त्रोत जोहड़, बोरिंग व हैण्डपम्प हैं, जिससे कि वहां पर मानव व पशु–पक्षियों को भी जल उपलब्ध होता है। देवबणी में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी जैसे – कबूतर, मोर, तोता, चिड़िया, गिरगाल आदि व जंगली जानवर – रोजड़ा, खरगोश, तीतर, भेडिया, सर्प, गोहरा, छिपकली, बिच्छु, गीदड आदि मिलते हैं। वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु शिकार करने पर पूर्णत प्रतिबन्ध लगा रखा है। गांववासी पक्षियों के लिए यहाँ चुग्गा भी डालते हैं। अत: यह देवबणी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय तौर पर अत्यन्त रमणीय व मनोरम है।

देवबणी में कुछ वन्य प्राणी ऐसे हैं जो गत समय (लगभग एक दशक पूर्व) उपस्थित थे किन्तु वर्तमान समय में उनकी प्रजाति लुप्त हो गई है जैसे– नयाली। वहीं कुछ ऐसे वन्य प्राणी भी हैं जो गत समय में तो नहीं थें किन्तु वर्तमान समय में भारी संख्या में मौजूद हैं। जैसे रोजड़ा, सेह, गीदड आदि। पशु चराई के लिए गांववासी इस देवबणी से घास काट कर ले जाते हैं। वैसे देवबणी में बरसात कम होने के कारण पशुओं के लिए पौधों व घास की कमी हुई है। इस कारण देवबणी में कृपाविस संस्थान ने गाँववासियों व महात्मा की सहायता से पौधरोपण कार्य करवाया।

देवबणी में मोहनदास जी महात्मा रहते हैं जिनके मार्गदर्शन मे देवबणी की देख–रेख होती है। वर्तमान समय में इस देवबणी की देख–रेख श्री गोविन्ददास जी महाराज कर रहे हैं। लोगों कि मान्यता अनुसार कहा जाता है कि ऐतिहासिक समय गें महाराजा जयसिंह इस रास्ते से होकर गुजर रहे थे तो इस स्थान पर अत्यधिक जाल के पेड होने के कारण उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिला और रथ रूक गया। तभी अचानक महाराजा को देवी माँ की पिण्डी के दर्शन हुए तब महाराजा ने वहां पर देवी माँ का मन्दिर बनवाने कि बात कही तो उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल गया।

लोगों कि धार्मिक मान्यता अनुसार यहाँ सभी दु:खों का निवारण होता है व शनिवार को रातें व जोत जलाई जाती है। यहाँ पर उतरते हुए बैसाख की आठे को मेला लगता है व नवरात्रों में माता का जागरण बडे ही उत्साह से करते हैं देवबणी से प्राप्त सूखी लकड़ी महात्मा जी या भण्डारे में काम आती है।

कृपाविस ने इस वर्ष यानि 2015 में काली पहाड़ी देवबणी मे वृक्षारोपण का कार्य किया। कृपाविस टीम ने वहाँ स्थित स्कूल के बच्चों अध्यापकों व प्रधानाध्यापक गणों को वृक्षारोपण कार्य से जोड़ा। बच्चों को वनों के प्रति जागरुक किया। काली पहाड़ी देवबणी में अनेक प्रकार के छायादार व फलदार वृक्ष कृपाविस टीम की अगुवाई में लगाए गये। देवबणी के महाराज जी तथा वहाँ के निवासियों ने पौधों में पानी देने व उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ली।

बरवासन माता की देवबणी

जिला करौली के अमरवाड गाँव में सपोटरा कस्बे से पूर्व की ओर चार मील की दूरी पर काली सिंध नदी के किनारे बरवासन माता का मन्दिर है। बरवासन देवी का यह स्थान चारों ओर से घने पेड़ों से घिरा हुआ है। इसीलिए इस क्षेत्र को बरवासन देवबणी कहते हैं। जिसका क्षेत्रफल लगभग 10 हैक्टेयर है। इसके समीपवर्ती एक बड़ा क्षेत्र 8–10 हैक्टेयर और है जो पशुओं की चराई के लिए संरक्षित हे। देवी जी के स्थान पर हर साल चैत्र शुक्ल अष्टमी से दशमी तक तीन दिन प्रमुख मेला भरता है। जिसमें जिले भर से दर्शनार्थी मेले में आते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी को मेला भरपूर लगता है। इस दिन करीब 20–30 हजार दर्शनार्थी आते हैं।

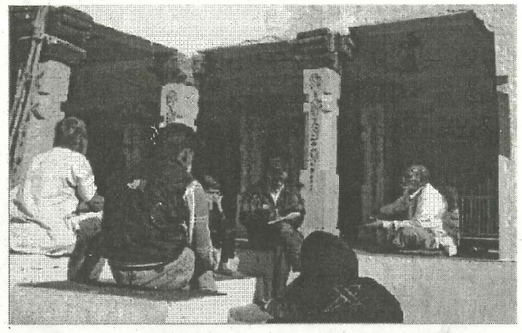

इस देवबणी को लोग 1382 के समकालीन बताते हैं। बरवासन देवी कैला देवी मां की छोटी बहन कही जाती है। इस संदर्भ में देवबणी में शिलालेख विधमान है।

मुगल काल में मुगल बादशाह और ओरंगजेब की सेना जब दक्षिण भारत को विजय करके लौट रही थी। जिस रास्ते से सेना गुजर रही थी उस रास्ते में जो भी हिन्दु मन्दिर या किला मिलता उसे तोडती जा रही थी। मुगल सेना को जब माँ के इस मन्दिर के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने देवबणी पर पडाव डाल दिया और तम्बू लगा दिए। गांववासियों ने प्रतिरोध किया तो मुगल सेना ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और मन्दिर में आग लगानी चाही लेकिन देवी माँ के प्रताप से उनके ही तम्बूओं में आग लग गई।

मुगल सेना ने अपनी मनोवृति के अनुसार माता जी के प्रवेश द्वार को गिराया, फिर उसकी दिवारों को गिराने लगी। बलिदान होने के बाद जो गाँववासी बचे थे वो देवी मां से आशा किए हुए थे कि निश्चित ही इस नीच मुगल सेना का विनाश करेगी और हुआ भी यही आकाश से भयंकर गर्जना हुई– जिसके कारण एकाएक मुगल सेना भयभीत हो गयी। भयंकर गर्जना के साथ तेज तूफान आया और चारों ओर से मधुमक्खियों के झुण्ड ने मुगल सेना पर तेजी से आक्रमण कर दिया। मुगल सेना मधुमक्खियों के आक्रमण से नहीं टिक पाई और भाग खड़ी हुई।

इस देवबणी में धोंक के सघन पेड़ है। यहाँ के निवासियों का मानना है कि बरवासन माता पेड़ों को नहीं काटने देती है यदि कोई पेड़ों को काटता है तो माँ के प्रताप से अन्धा और बहरा हो जाता है। इस देवबणी में धोंक, शीशम, नीम, कीकर आदि पेड़ पौधों का सघन जंगल है। इस देवबणी में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव प्राणी– कबूतर, तोता, बन्दर, लंगूर, गादडा, सर्प, नेवला आदि पाए जाते हैं। यहां जल स्त्रोत के रुप में बोरिंग तथा तलाई विद्धमान हैं।

ओरण–देवबणी'' पुनरोत्थान आजिविका व सरंक्षण में कृपाविस का विशिष्ट योगदान

कृपाविस ने अलवर, दौसा व जयपुर जिलों में 125 से अधिक ओरण–देवबणियों के पुनरोत्थान हेतु वृक्षारोपण व घास बीजारोपण, जल–भू संरक्षण के कार्य जैसे टक, मेड, चैक, डेमस, टेंचीग, कन्टूर आदि का निर्माण कराया।

को जोड़ा, जिनमें करीब 400 महिलाओं के खुद के ''स्वयं सहायता समुह'', कर्मठ एवं जोशिलें युवाओं की टीम विभिन्न गांवों में ओरणों के सरंक्षण तथा प्रबन्धन के लिए जोड़ा।

परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे तालाब, झरना, बावड़ी, जोहड़, कुन्ड, टांका, कुईया, अनिकट,खेली आदि का पुनरोत्थान व नये निर्माण किये। स्थानीय तथा दुर्लभ प्रजातियाँ विशेषकर स्थानीय प्रजाति तथा जड़ी–बूटी के पौधों की पौधशालाएँ प्रतिवर्ष उगाई जाती हैं ।

ओरण–देवबणियों की सुरक्षा हेतु गाँवों में सामाजिक फेंसिंग, गांवाई नियम बनाए। बेहतर प्रबन्धन हेतु स्वयं सहायता समूह, वन समिति या अन्य ग्राम स्तरीय संगठनों का गठन। सांस्कृतिक मेलों का वार्षिक आयोजनों में सहयोग करना आदि।

सम्पूर्ण राजस्थान में 1000 से अधिक ओरणों का जिलावार सर्वे तथा अध्ययन किया तथा 10 जिलों की जिला स्तरीय ओरण डारेक्टरी तैयार की। ओरण व देवबणी के संरक्षण व प्रबन्धन कार्य में विभिन्न समुदायों (विशेषकर चरवाहें)

राजस्थान की 30 से अधिक स्वैच्छिक संस्थाऐं, एक दर्जन से अधिक वैज्ञानिक कृपाविस से प्रेरित होकर जुड़े।

ओरण व देवबणी के नितिगत बदलाव के लिए विभिन्न स्तर पर स्वैच्छिक तथा सम्बन्धित सरकारी संस्थाओं के साथ सम्पर्क एवं समन्वयन, विषय पर सन्दर्भ सामग्री तैयार व प्रसारित–त्रैमासिक पत्रिका ''देवबणी री बात'' का नियमित प्रकाशन व प्रसारित करते हैं। (अब तक 23 अंक छप चुके हैं)। 20 से अधिक क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरीय कार्यशालायें आयोजित की जिनमें शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों, नीति निर्धारकों, योजनाकारों, प्रशासन, राजनेताओं के साथ बैठकें व वार्ताए की। राज्य स्तर पर ''ओरण फोरम'' का गठन किया।

उपरोक्त योगदान हेतु कृपाविस को डालमिया पानी पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया।

जलवायु परिवर्तन व ओरण–देवबणियां

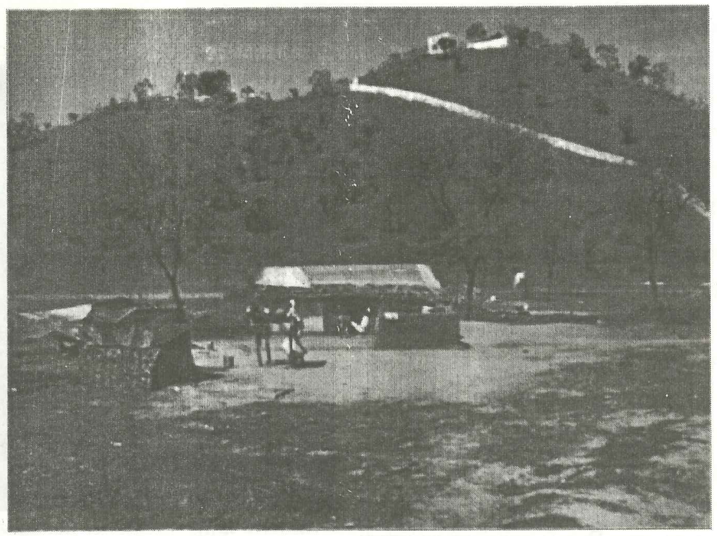

ओरण देवबणी यानि जंगल हमारे जीवन का मुख्य स्त्रोत है। जो अनन्त काल से पृथ्वी पर मानव एवं सम्पूर्ण जीव जगत को न केवल प्राण वायु व आश्रय देता रहा है अपितु उसके विकास के प्रारम्भिक काल से वर्तमान तक अस्तित्व में बनाये रखने का आधार रहा है। ओरण देवबणी एक वन प्राकृतिक संसाधन है, जिनका उपयोग मानव विविध कार्यो में लेता है। मानव सभ्यता के विकास से ही मानव वनों का उपयोग करता आया है। किन्तु औद्योगिक युग के प्रारम्भ होने के पश्चात् औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि आदि से वनों का इतना विनाश हुआ है कि आज इनके विनाश को रोकना कठिन हो रहा है। फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी विभिन्न समस्या देखने को मिलती हैं।

पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक है हरीत ग्रह प्रभाव –ग्रीन हाऊस जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कतिपय जैसे कि वायुमंडल में प्रवेश से तपमान में वृद्धि होने लग जाती है। इसी के फलस्वरूप विश्व के सामान्य तापमान में वृद्धि होती है, जो एक चिंता का विषय है। इसमें सर्वाधिक भूमिका कार्बनडाईऑक्साईड की होती है। पृथ्वी से परावर्तित होने वाली गर्मी की अधिकांश मात्रा वायुमण्डल सोंख लेता है, फलस्वरूप पृथ्वी पर तापमान ज्यादा हो जाता है। जिस प्रकार बाहरी तापमान कम होते हुए भी ''ग्रीन हाऊस'' तापमान को सामान्य बनाये रखता है। यही प्रक्रिया प्रदूषित गैसों द्वारा वायुमण्डल में होने से धरती के तापमान में वृद्धि होने लगती है। जिसके कारण अनेक प्रकार की पारिस्थितिकीय समस्योओं का जन्म होता है–

- समुंद्री जल स्तर में वृद्धि होना।
- तटीय क्षेत्रों में बाढ का प्रकोप होना।
- तटीय क्षेत्रों में बसे लोगों का जलमग्न हो जाना।
- नीदरलैण्ड, बांग्लादेश तथा हजारों द्वीपों पर जलमग्न का संकट उत्पन्न होना।
- आर्थिक एवं जैविक हानि।

उपरोक्त विभिन्न समस्याओं के निदान में ओरण–देवबणियों यानि जंगलों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

जलवायु परिवर्तन निदान के लिए वृक्षारोपण व जल संरक्षण को बढावा देना अत्यन्त आवश्यक है। कम पानी वाली फसलों तथा पेड़ो को अधिक महत्व देना तथा देशी बीजों का अधिक से अधिक उपयोग करना। बारिश के जल का संरक्षण तथा भूमि के संरक्षण हेतु और अधिक सकारात्मक प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही चक्रित व मिश्रित खेती को भी अपनाना अत्यन्त आवश्यक है। भूमि सुधार और जल संरक्षण के परम्परागत एवं प्राकृतिक संसाधनों को ही अधिक महत्व देना चाहिए। जल संरक्षण व भूमि संरक्षण हेतु जल संरक्षण संरचनाओं की भरण क्षमता में अधिक वृद्धि करना। लोगों को जल संरक्षण व भूमि सुधार के लिए जागरूक करना व इसके साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करना। लोगो को कम लागत के ऊर्जा संयत्रों के बारे में बताना जैसे–सोलर पैनल, सोलर पम्प सैट आदि।

उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसे तथा गन्दे पानी को किसी ऐसे स्थान पर एकत्रित करना चाहिए जहां मानव जगत, वन्य प्राणी जगत, तथा वनों का अहित ना हो। ओरण–देवबणी तथा वन संरक्षण करना अत्यन्त आवश्यकयक है क्योंकि एक वृक्ष साल भर में औसतन 20 किलोग्राम कार्बन डाई आक्साइड गैस अवशोशित कर लेता है। इससे जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बचा जा सकता है।

सरिस्का क्षेत्र में परम्परागत वन अधिकार हेतु वन अधिकार समितियों की पहल

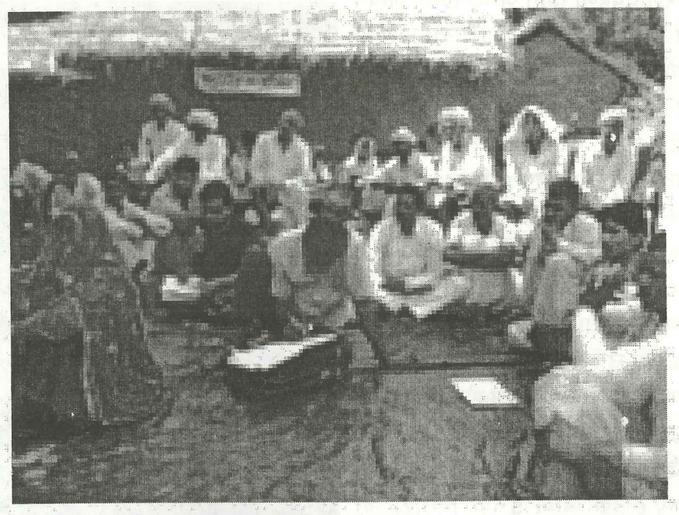

सरिस्का क्षेत्र के निवासी उनके मुलभूत अधिकार जिसमें उनके जीवपयापन, विकास, संस्कृति, सामाजिक व आर्थिक पहलुओं पर अधिकार हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार समितियाँ गठित की हैं।

सरिस्का बाघ संरक्षित वन अभ्यारण में ग्रामीणों के पारम्परिक ज्ञान व उनका जंगल व मानव का आपसी सम्बन्ध व पारस्परिक सहजीवन के आधार को भी ध्यान में नहीं रखा गया। उन नियमों का उल्लंघन है जिसमें इन उप–धाराओं 4) पप) की धारा 38 अ) के वन्यजीव सरंक्षण प्रस्तावना अधिनियम की धारा 2006 जिसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र व पालना करना बताया है कि बफर व उससे संबन्धित क्षेत्र जिसे बाघ संरक्षित क्षेत्र या कोर एरीया बनाने के प्रकरण को बड़े ही संक्षिप्त विवरण के अनुसार घोषित कर दिया गया।

यह लेख इस प्रकार है– जहाँ पर कि बाघ संरक्षित क्षेत्र को बचाने व विलुप्त होती बाघ की प्रजाति के विलोपन को ध्यान में रखते हुए यह प्रमुख ध्येय था कि वन्यजीव व मानव गतिविधियों का आपसी ताल–मेल बना रहे जिसमें उनके मूलभूत अधिकार जीवनयापन, विकास, संस्कृति, सामाजिक व आर्थिक पहलुओं को इस तरह से परिभाषित किया जाये जिसमें इन क्षेत्रों को इस प्रकार विभाजित किया जाये जिसका कोई वैज्ञानिक आधार तथा ग्रामीणों व ग्रामसभा के विचारों को भी तव्वजों दी जाये। सरिस्का क्षेत्र में ना तो ग्रामीणों व ग्रामसभा से किसी प्रकार का विचार–विमर्श किया गया, और ना उनके जीवनयापन, विकास, संस्कृति, सामाजिक व आर्थिक पहलुओं को पहचाना गया।

इस लिए इन परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक 30 जुलाई से 4 अगस्त 2015 तक सरिस्का क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में वन अधिकार समिति की बैंठके आयोजित की गई। बैठकों में नैचुरल जस्टिस की वकील टीम भी उपस्थित थी। दिनांक 30जुलाई 2015 को कालीखोल गाँव की वन अधिकार समिति की बैठक अध्यक्ष श्री हरलया बाबा के घर आयोजित की गई। प्रशिक्षण कृपाविस टीम की उपस्थिति में हुआ। नैचुरल जस्टिस टीम की सदस्या अलफोनसा बहन व स्टेला बहन ने गाँव के लोगों को वन अधिकार कानून के अन्तर्गत वनों से मिलने वाले अधिकारों के बारे में लोगों को अवगत कराया। डा. शिवराम कृष्णा एवं वीरेन लोबो जोकि जल, जमीन, जंगल के सरंक्षण हेतु पिछले लगभग 30 सालों से कार्यरत हैं ने लोगों के पारंपरिक ज्ञान का ही वन अधिकार का कानून माना है।

श्री अमनसिंह ने बताया कि हम को अपने परम्परागत कानुन पर सोचना चाहिए। बैठक में गाँव वासियों ने पारम्परिक ज्ञान के आधार पर एक नक्शा तैयार किया। वन अधिकार समिति के अध्यक्ष हरलया बाबा ने कहा कि जंगल में हो रहे काटन व खनन के लिए कुछ हद तक गांववासी भी जिम्मेदार हैं क्योंकि इनमें एकता व जागरुकता का अभाव है। 1 अगस्त 2015 को ग्राम बेरा में वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। यहाँ भी गाँव वासियों ने पारम्परिक ज्ञान के आधार पर उनके जंगल का नक्शा तैयार किया।

दिनांक 2 अगस्त 2015 को ग्राम लोज नाथूसर में वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। यहां भी गाँव वासियों को मीटिंग में वन अधिकार कानून पर प्रशिक्षण व जानकारी दी व पारम्परिक ज्ञान के आधार पर उनके जंगल का नक्शा तैयार किया गया। इसी प्रकार 4 अगस्त 2015 को ग्राम बीणक में वन अधिकार समिति की बैठक हुई तथा पारम्परिक ज्ञान के आधार पर गाँव वासीयों ने उनके जंगल का नक्शा तैयार किया।

इस प्रकार सरिस्का बाघ संरक्षित वन अभ्यारण में गाँव वासियों के जीवनयापन, विकास, संस्कृति, सामाजिक व आर्थिक पहलुओं को पहचाना गया।

व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण महिला आजीविका

महिला आजीविका

कृषि एव पारिस्थितिकी विकास संस्थान– कृपाविस, कैनरा–एच.एस.बी.सी.–ओ.बी.सी. बीमा कम्पनी के सहयोग से, पिछले कई वर्षो से व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण करने हेतु प्रयासरत है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बैच में 20 महिलाओं को 4 माह का सिलाई कला में प्रशिक्षण आयोजित होता है। जिसके अन्तर्गत निम्न पहलूओं को सम्मिलित किया गया है–

रोजगारोन्मुख कुशलताओं को प्रोत्साहन :– इसके अन्तर्गत रोजगारोन्मुख कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। आज हमारे समाज में कुशलताओं की कमी नहीं है लेकिन फिर भी हमारा सामाजिक परिवेक्षक कुशलताओं को प्रोत्साहित करने में सक्षम नहीं है। जिस कारण कुशलताएँ दबी रह जाती है। अतः इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार की कुशलता को प्रोत्साहित करना है।

स्व. रोजगार को बढ़ावा :– इस कार्यक्रम का दूसरा प्रमुख उद्धेश्य महिलाओं के स्व. रोजगार को बढ़ावा देना है आज के समय में नौकरियों का अभाव है इसलिये इस तरह से प्रशिक्षण देकर महिलाओं को तैयार किया जाता है कि वह स्व रोजगार अर्थात अपना स्वयं का व्यवसाय चला सकें तथा साथ ही साथ अपने द्वारा और लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ सके।

सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता :– आज भी समाज में कई प्रकार की सामाजिक बुराईयाँ हैं जैसे–दहेज–प्रथा, पर्दा–प्रथा, बाल–विवाह, नुक्ता प्रथा आदि उन सबसे ऊपर उठने के लिए जन जागरूकता पैदा करना तथा महिलाओं को संगठित कर स्वयं सहायता समुहें गठित करना।

सिलाई कला में प्रशिक्षण के तरीकों में मुख्यता प्रायोगिकी को अपनाया गया जिसके अन्तर्गत निम्न का समायोजन किया गया–

◆ सैद्धांतिक वार्ताएँ – इसमें सैद्धांतिक वार्ताए जिसमें बोर्ड पर चित्र बनाकर पैटर्न, मेकिंग, ड्राईंग, पेपर कटिंग आदि सम्मिलित किया जाता है। साधारण से साधारण कोर्स को भी सिखाना जैसे काज करना, हाथ की तुरपाई आदि ताकि कोर्स को करने वाली महिला सिलाई कला में पारंगत हो सके।

◆ एक्सपोजर विजिट – समय–समय पर एक्सपोजर विजिट कराये जिससे बाहर होने वाले कोर्स को भी प्रशिणार्थी देख समझ सके। स्वयं सहायता समुहों (SHGs) के साथ एक्सपोजर विजिट। अच्छे से समझने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) की भी विजिट कराई जाती है। समय–समय पर स्लाईड शो किए गए ताकि प्रशिक्षणार्थी के काम में वृद्धि की जा सके।

◆ प्रायोगिक कार्य – सिलाई कला की विभिन्न विधाएं सिखाई जाती है। जिसमें महिलाओं को विभिन्न ड्रेसेज की डिजाईनिंग व सिलाई, पोशाक बनाना, कपड़ों में फिनिशिंग व प्रेसिंग कैसे की जाती है। उन्हें किस प्रकार पैक किया जाता है आदि सिखाना। साथ–साथ नाप लेना उसको अपनी नोट बुक में लिखना व नियमित प्रबंधन करने के साथ–साथ सीखना इससे उन्हें इस बात का ज्ञान हो कि किस प्रकार से अपनी सीखी हुई चीज को सुरक्षित रख सकते हैं।

प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु उनको लगातार मार्गदर्शन व सहयोग देने का कार्य कृपाविस सुचारू रूप से करती है। ज्यादातर प्रशिक्षित महिलाऐं स्व–रोजगार स्थापित करने के प्रयास में लगी हुई हैं। प्रशिक्षित इच्छुक महिलाओं को अन्य संस्थानों से जोड़ने के विकल्प भी खोजे हैं।

अन्तराष्ट्रीय लीडर्स ने सीखे
चरवाहों से ओरण–देवबणी व वन संरक्षण के परम्परागत तरीके

ओरण देवबणि्यों के संरक्षण के संदर्भ में ग्राम बेरा में दिनांक 3 नवम्बर 2015 को कृपाविस द्वारा वन संरक्षण से संबंधित एक आयोजन किया गया। जिसमें विश्व के अनेक देशों से 15 लीडर्स भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन वन अधिकार समिति के सदस्यों श्री रामकरण व बोदन गुर्जर ने किया। लीडर्स क्वेस्ट की टीम ने बेरा गाँव के लोगों से ओरण–देवबणी व वन संरक्षण के बारे में सीखा। बेरा गाँव के चरवाहों ने उन्हें बताया की वन व जल का संरक्षण तभी संभव है जब हम सभी मिलकर ओरण–देवबणियों में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। चरवाहा लीडर्स के साथ लीडर्स क्वेस्ट टीम तथा कृपाविस टीम ने जयपाल देवबणी का भ्रमण किया।

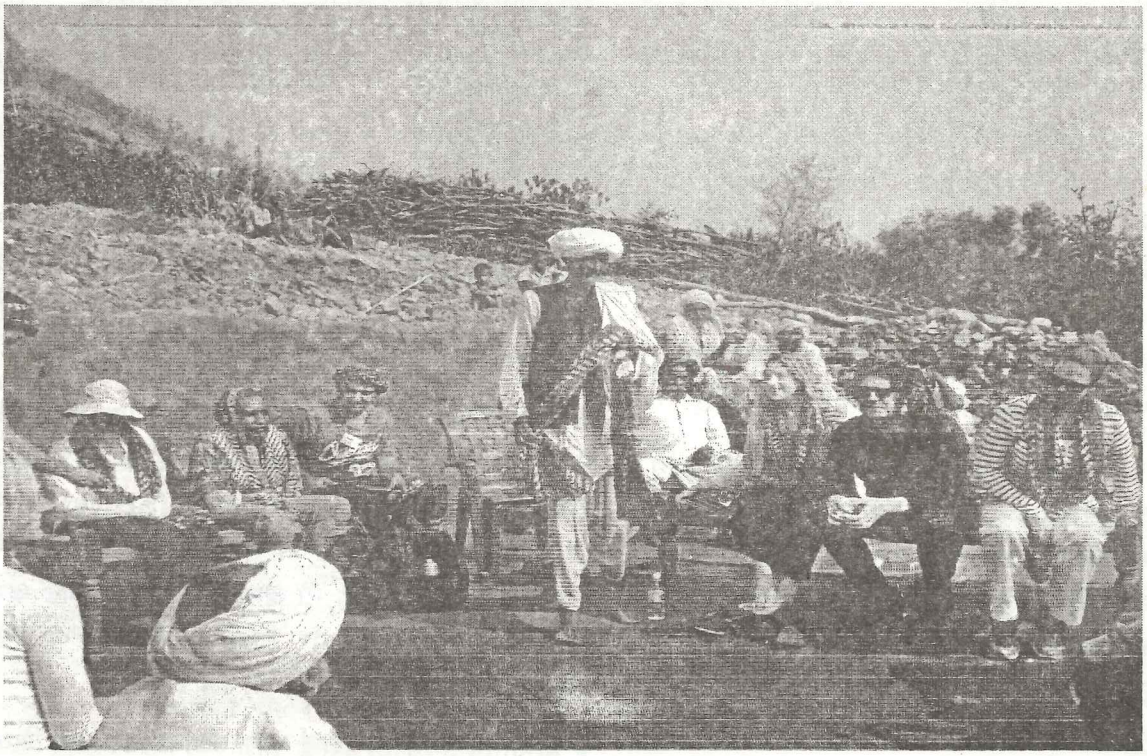

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस), बख्तपुरा, पो० सिलीसेढ झील, अलवर (राज०) द्वारा जनहित में प्रसारित।
इस पत्रिका के लिए सहयोग 'पी.के. फाउण्डेशन' द्वारा प्राप्त
मुद्रक: जय बाबा प्रिन्टर्स, स्टेशन रोड़, अलवर । लेआउट सहायक : शिव कुमार गुप्ता व अभिशंकर शर्मा